"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेपण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2013—आषाढ़ 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 26, 1935)

क्रमांक-8845/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) जो बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 22 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ण-क) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य;"

धारा 30 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में, शब्द "तहसीलदार" का लोप किया जाये.

धारा 34 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 34 के खण्ड (ग) में, शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 35 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (3) में, शब्द "आवेदन" के स्थान पर, शब्द "शपथपत्र सहित आवेदन" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 36 का संशोधन. 6. (1) मूल अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) में, पूर्ण विराम चि[illegible] "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखि[illegible] अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु प्रत्येक पक्ष को, कार्यवाहियों के दौरान अधिकत[illegible] चार स्थगन दिये जा सकेंगे और प्रत्येक स्थगन केवल खर्चे के साथ प्रदान किया जायेगा."

धारा 46 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 46 के खण्ड (क) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "इंडि[illegible]न लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का संख्यांक 9)" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिन्ह "परिसीमा अ[illegible]नियम, 1963 (1963 का सं. 36)" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 52 का संशोधन. 8. (1) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) में, पूर्ण विराम चि[illegible] "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) में, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन माह से अधिक या अगली सुनवाई की तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा."

(3) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(4) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) में, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन माह से अधिक या अगली सुनवाई की तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा."

9. मूल अधिनियम की धारा 53 में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "इंडियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का संख्यांक 9)" और "पुनर्विलोकन" के स्थान पर, क्रमश: शब्द, अंक तथा चिन्ह "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 36)" और "पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 53 का संशोधन.**

10. मूल अधिनियम की धारा 54 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 54 का संशोधन.**

"54. **लंबित पुनरीक्षण.**— इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी समस्त पुनरीक्षण जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित हो, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा इसी प्रकार से सुनी जाएंगी तथा विनिश्चित की जाएंगी, मानो कि यह अधिनियम, अधिनियमित ही न हुआ हो."

11. (1) मूल अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (2) में, शब्द "उपखण्डीय पदाधिकारी" के स्थान पर, शब्द "कलेक्टर" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 57 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (3) तथा (4) का लोप किया जाये.

12. मूल अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (2-क) में, शब्द "उपखण्ड अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 59 का संशोधन.**

13. मूल अधिनियम की धारा 78 का लोप किया जाये. **धारा 78 का संशोधन.**

14. (1) मूल अधिनियम की धारा 81 की उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 81 का संशोधन.**

"(4) गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि का उचित निर्धारण, धारा 59 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियत किया जायेगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 81 की उप-धारा (6) का लोप किया जाये.

15. मूल अधिनियम की धारा 97 का लोप किया जाये. **धारा 97 का संशोधन.**

16. मूल अधिनियम की धारा 98 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 98 का संशोधन.**

"98. **उचित निर्धारण.**—कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि का उचित निर्धारण, धारा 81 में दिये गये सिद्धांतों और निर्बंधनों के अनुसार, संगणित तथा नियत किया जायेगा और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि का उचित निर्धारण, धारा 59 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियत किया जायेगा."

धारा 99 का संशोधन. 17. मूल अधिनियम की धारा 99 का लोप किया जाये.

धारा 100 का संशोधन. 18. मूल अधिनियम की धारा 100 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"100. **पुनरीक्षण के समय उचित निर्धारण का नियत किया जाना.**—उन भूमियों की दशा में, जिन पर निर्धारण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके कि संबंध में उनका निर्धारण पुनरीक्षण के ठीक पूर्व किया जा चुका था, वह निर्धारण जो कि इस प्रकार संगणित किया गया हो, कृषि भूमि की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, डेढ़ गुने से अधिक होता हो; तथा अन्य भूमियों की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, छः गुने से अधिक होता हो, तो निर्धारण कृषि भूमि की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के डेढ़ गुने के हिसाब से तथा अन्य भूमियों की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के छः गुने के हिसाब से नियत किया जायेगा:

परन्तु जहां कृषि के प्रयोजन के लिए धारित किसी खाते में उसके धारक द्वारा या उसके धारक के व्यय पर किसी भी समय कोई सुधार किया गया हो, वहां ऐसे खाते का निर्धारण इस प्रकार नियत किया जायेगा मानो कि वह सुधार नहीं किया गया था."

धारा 119 का संशोधन. 19. (1) मूल अधिनियम की धारा 119 की उप-धारा (1) में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 119 की उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1-क) धारा 112 के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धारा 110 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित सूचना एक माह के भीतर नहीं देता है, तो तहसीलदार पांच हजार रुपये से अनधिक अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेगा, जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा."

धारा 128 का संशोधन. 20. मूल अधिनियम की धारा 128 की-उप-धारा (2) में, शब्द "एक रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 130 का संशोधन. 21. मूल अधिनियम की धारा 130 में, शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 132 का संशोधन. 22. मूल अधिनियम की धारा 132 में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 133 का प्रतिस्थापन. 23. मूल अधिनियम की धारा 133 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"133. **बाधा का हटाया जाना.**— यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत हो कि कोई बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के आबाध उपयोग में अवरोध डालती है या जिससे किसी ऐसी सड़क या जल स्रोत में, जो धारा 131 के अधीन किसी विनिश्चय का विषय रहा हो, अवरोध होता है, तो वह ऐसी बाधा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उसे हटाने का आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति उस आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह उस बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाये जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा."

धारा 143 का संशोधन. 24. मूल अधिनियम की धारा 143 में, शब्द "रकम के" के स्थान पर, शब्द "रकम से" प्रतिस्थापित किया जाये और शब्द "दस प्रतिशत से" को विलोपित किया जाये.

25. मूल अधिनियम की धारा 165 की उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 165 का संशोधन.**

"(4-क) (एक). उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भूमिस्वामी अपनी कृषि हेतु धारित भूमि का अन्तरण ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगा, जो वास्तविक कृषक नहीं है.

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "अन्तरण" की अभिव्यक्ति में, निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) उत्तराधिकार द्वारा अन्तरण;

(ख) वैध वारिसों को वसीयत के द्वारा अन्तरण;

(ग) लोकहित में किया गया भू-अर्जन;

(घ) किसी धार्मिक या पूर्त (चैरिटेबल) प्रयोजन हेतु, न्यास, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रयोजन, शैक्षणिक संस्थाओं को या उनके लिए अन्तरण;

(ङ) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के विभागों, इकाईयों, निगमों एवं कंपनियों को, जो शासन के उपक्रम है, अन्तरण;

(च) ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रय की गई भूमि, जो लोकहित में किये गये भू-अर्जन के फलस्वरूप भूमिहीन हो गये हों;

(छ) कलेक्टर की अनुज्ञा से, ऐसे अन्य व्यक्ति और ऐसी सीमा तक अंतरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विहित किया जाए.

(दो) राज्य सरकार, इस उप-धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी."

26. (1) मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 172 का संशोधन.**

"परन्तु यह और कि यदि किसी ऐसी भूमि, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये आरक्षित की गई है किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, का भूमिस्वामी, अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजनों, जिसके लिये वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, के लिए अथवा ऐसी भूमि या उसका कोई भाग जिसका निर्धारण कृषि प्रयोजन हेतु किया गया है तथा जो विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित है, औद्योगिक प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की सक्षम प्राधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी तथा ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुमति अपेक्षित नहीं होगी."

(2) मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (6-क) का लोप किया जाये.

27. मूल अधिनियम की धारा 200 में, शब्द "दो सौ" के स्थान पर, शब्द "दो हजार" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 200 का संशोधन.**

28. मूल अधिनियम की धारा 227 में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 227 का संशोधन.**

29. (1) मूल अधिनियम की धारा 234 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 234 का संशोधन.**

"(2) निस्तार पत्रक का प्रारूप, ग्राम में प्रकाशित किया जायेगा और ग्राम सभा की इच्छाओं को विहित रीति में अभिनिश्चित करने के पश्चात्, उसे उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 234 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) इस प्रकार अंतिम किये गये निस्तार पत्रक की एक प्रति, ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी."

(3) मूल अधिनियम की धारा 234 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"(4) ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले दो तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प पर, कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् उप-खण्ड अधिकारी, निस्तार पत्रक में संशोधन कर सकेगा."

धारा 257 का संशोधन. 30. (1) मूल अधिनियम की धारा 257 में खण्ड (क) को खण्ड (क-1) के रूप में पढ़ा जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 257 में, खण्ड (क-1) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क) कलेक्टर और किसी व्यक्ति के बीच, धारा 57 की उप-धारा (1) के अधीन किसी अधिकार के संबंध में कोई विनिश्चय."

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

यह देखने में आया है कि राजस्व न्यायालय में बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरण, निराकरण हेतु लंबित है. इसका एक कारण यह है कि पर्याप्त कारणों पर ध्यान दिये बिना राजस्व न्यायालयों द्वारा बड़ी संख्या में स्थगन दिया जा रहा है, जबकि विधि के अनुसार मात्र अपवादिक प्रकरणों, जिनमें पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो, में ही स्थगन दिया जाना चाहिए. स्थगन देने के कारण कभी-कभी आदेश के पारित होने के पश्चात् भी निष्पादन नहीं हो पाता है और प्रकरण लंबे समय के लिए लंबित रह जाते हैं. पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के संबंध में भी कोई परिसीमा नहीं है.

यह भी महसूस किया गया है कि राज्य शासन तथा निजी व्यक्ति के बीच, संपत्ति पर स्वामित्व के संबंध में विवाद की सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जानी चाहिए, वर्तमान में, यह सुनवाई उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जा रही है.

कृषि भूमि धारण के निर्धारण की दिशा निर्धारित करने की भी आवश्यकता है. यह भी पाया गया है कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी, अपने द्वारा किये जा रहे दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् राजस्व अधिकारी को अपेक्षित सूचना प्रदाय नहीं करते हैं और रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी को जवाबदेह बनाने के लिए सख्त प्रावधान की आवश्यकता है. व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त पथ, सड़क या सार्वजनिक भूमि से बाधा नहीं हटाता है, तो उस पर शास्ति अधिरोपित होना चाहिए ताकि बाधा को हटाने में सरलता हो जाये. सीमा अथवा सर्वेक्षण चिन्ह को विनष्ट करने, क्षति पहुंचाने या प्राधिकार के बिना हटाये जाने और मान्यता प्राप्त पथ एवं रास्ते की अड़चन के लिए शास्ति बहुत कम है जिसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है.

राज्य में कुल कृषि भूमि जोत कम हो रही है इसलिए कृषि भूमि के विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है. विकास योजना में भूमि के व्यपवर्तन को सरल बनाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है. इसके अलावा निस्तार अधिकार को असानी से प्रभावित न किया जा सके, इसके लिए ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसे ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प पर ही परिवर्तित किया जा सके.

अतएव सामान्य जन को सुविधा प्रदान करने, राजस्व अधिकारियों का दायित्व निर्धारण करने और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के विभिन्न प्रावधानों को दिशा प्रदान के लिए, संशोधन की आवश्यकता है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

2. अत: यह विधयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 10 जुलाई, 2013

दयालदास बघेल
राजस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2, 30, 34, 35, 36, 46, 52, 53, 54, 57, 59, 78, 81, 97, 98, 99, 100, 119, 128, 130, 132, 133, 143, 165, 172, 200, 227, 234 एवं 257 के संबंध में सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

(1) **धारा 2 उप-धारा (1) का खण्ड (ण)—** "आम्रकुंज" से अभिप्रेत है आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाये गये हैं कि उनसे उस भूमि का, जिस पर कि वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यत: किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रूक जाता है या उन आम के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यत: उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाना रूक जायेगा;

* * * * * * * * * * * * * *

(2) **धारा 30. अधीनस्थों को तथा उनके पास से मामले अन्तरित करने की शक्ति—**

(1) कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार, इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन उद्‌भूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को, जो कि ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिये सक्षम है, विनिश्चय के लिये सौंप सकेगा या किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को किसी ऐसे राजस्व अधिकारी के पास से वापस कर सकेगा और ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें निपटारे के लिये अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विनिश्चय करने के लिये सक्षम है, निर्देशित कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(3) **धारा 34. साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करना—**

खण्ड (ग) उस व्यक्ति पर पचास रुपये से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(4) **धारा 35. पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई—**

उप-धारा (3) वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) या (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से या उस दशा में जबकि सूचना या समन की सम्यक् रूप से तामील न की गयी हो, उस आदेश के जानकारी में आने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे अपास्त करने के लिये आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि वह विरोधी पक्षकार का समन या सूचना की तामील के लिये अपेक्षित आदेशिका फीस का भुगतान करने से या सुनवाई में उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था और राजस्व अधिकारी, उस विरोधी पक्षकार को जो उस तारीख को उपस्थित था जिसको कि ऐसा आदेश पारित किया गया था सूचना देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, पारित किये गये आदेश को अपास्त कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(5) **धारा 36. सुनवाई का स्थगन—**

(1) राजस्व पदाधिकारी समय-समय पर ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे और खर्च विषयक निर्बन्धनों पर अपने समक्ष किसी मामले का कार्यवाही की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(6) **धारा 46. कतिपय आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी—** किसी भी ऐसे आदेश की—

(क) जिसके द्वारा कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (1908 का सं. 9) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों पर ग्रहण किया गया है; या

* * * * * * * * * * * * * *

(7) **धारा 52. आदेशों के निष्पादन का रोका जाना—** (1) . . . .

(2) अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके कि विरुद्ध पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाये जितना कि वह ठीक समझे.

(3) वह प्राधिकारी, जो धारा 50 या धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाये जितना कि वह ठीक समझे.

* * * * * * * * * * * * * *

(8) **धारा 53. लिमिटेशन ऐक्ट का लागू होना—** इस संहिता से अन्तर्विष्ट किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अध्यधीन रहते हुए, इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (1908 का संख्यांक 9) के उपबन्ध इस संहिता के अधीन समस्त अपीलों तथा पुनर्विलोकन हेतु समस्त आवेदनों को लागू होंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

(9) **धारा 54. लम्बित पुनरीक्षण—** इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 45 के उपबन्धों अध्यधीन रहते हुए, ऐसी समस्त कार्यवाहियां जो इस संबंध के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण में लम्बित हों, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी मानो कि यह संहिता पारित ही न हुई हो.

* * * * * * * * * * * * * *

(10) **धारा 57. समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व—** (1) . . . .

(2) जब उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी अधिकार के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो विवाद उपखंडीय पदाधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा.

(3) उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के परिवेदित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर उक्त आदेश की वैद्यता का प्रतिरोध करने के लिये व्यवहार वाद संस्थित कर सकेगा.

{3-क (क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सिविल न्यायालय 24 अक्टूबर, 1983 को या उसके पश्चात् उपधारा (3) के अधीन संस्थित किये गये किसी सिविल वाद में अस्थाई व्यादेश द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे धारा 250 के अधीन कब्जा वापस दिला दिया जाता है बाधा नहीं पहुंचायेगा यदि वह व्यक्ति, व्यथित पक्षकार के पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री दे दी जाने की दशा में किसी हानि के लिये यव्यथित पक्षकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई कार्य विश्वसनीय प्रतिभूति दे देता है;

परन्तु किसी ऐसी जनजाति के लिये धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जन-जाति घोषित किया गया है. किसी सदस्य द्वारा कोई प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी.

(ख) जहां किसी सिविल न्यायालय के अस्थायी व्यादेश के आदेश द्वारा खंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के 24 अक्टूबर, 1983 को या उसके पश्चात् किसी राजस्व विभाग की अधिसूचना क्र. 1-70-सात-सा-2-83 दिनांक 5 जनवरी, 1984 के प्रकाशन के पूर्व, बाधा पहुंचाई हो वहां ऐसा आदेश प्रकाशन

हो जाने पर उपशमित हो जायेगा और तहसीलदार उस व्यक्ति को कोई कब्जा वापस दिलायेगा जिसे ऐसे आदेश द्वारा बाधा पहुंचाई गई है.

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध व्यवहार वाद संस्थित कर दिया गया हो, तो ऐसे आदेश की अपील या उसका पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(11) **धारा 59. जिस प्रयोजन के लिये भूमि उपयोग में लाई जावे उसी के अनुसार भू-राजस्व में फेरफार**— (1) . . . . . .

(2-क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया परिवर्तन या निर्धारण उपखण्डीय पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(12) **धारा 78. निर्धारण की दर के लिये अधिकतम तथा न्यूनतम सीमायें**— निर्धारण दर के लिये अधिकतम तथा न्यूनतम सीमायें, तत्समय प्रवृत्त निर्धारण दर की क्रमशः सवा गुनी और तीन चौथाई होगी :

परन्तु उस दशा में जब कि पूर्वोक्त न्यूनतम या अधिकतम सीमाओं में परिवर्तन करना वांछनीय समझा जाये तब उस प्रभाव का एक प्रस्ताव विधान सभा के पटल पर उसके अनुमोदन के लिये रखा जायेगा और तत्पश्चात् तथा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार निर्धारण दर की सीमाओं में परिवर्तन किये जायेंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

(13) **धारा 81. निर्धारण के सिद्धान्त**— (1) . . . .

उपधारा (4) कृषि भूमि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर उचित निर्धारण उस भूमि के प्राक्कलित भाटक मूल्य (रेन्टल वेल्यू) के तैंतीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

उपधारा (6) उन विशेष कारणों के सिवाय, जो प्रत्येक मामले में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, कृषि प्रयोजन वाले किसी खाते के उचित निर्धारण में कोई भी वृद्धि विद्यमान निर्धारण के पश्चात् से अधिक की नहीं होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

(14) **धारा 97. कलेक्टर द्वारा निर्धारण की मानक दर का नियत किया जाना तथा मानक दरों का प्रकाशन**—

(1) कलेक्टर, राज्य सरकार के अनुमोदन से धारा 98 के उपबंधों के अनुसार निर्धारण की मानक दर नगरीय क्षेत्र में के प्रत्येक खंड में की कृषि भिन्न भूमि की दशा में प्रति एक सौ वर्ग फीट भूमि के हिसाब से तथा कृषि भूमि की दशा में प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से नियत करेगा और ऐसी मानक दरें ऐसी रीति में प्रकाशित की जायगी जैसी की विहित की जाय.

* * * * * * * * * * * * * *

(15) **धारा 98. निर्धारण की मानक दरों का नियत किया जाना**—

(1) कलेक्टर नगरीय क्षेत्रों में के भिन्न-भिन्न खंडों में की भूमियों के समस्त रजिस्ट्रीकृत विक्रयों तथा पट्टों का, उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि धारा 59 की उपधारा (1) में वर्णित प्रयोलनों में से प्रत्येक प्रयोजन के लिये धारित हो, अभिलेख इस कोड के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार रखेगा.

(2) प्रत्येक खंड में की भूमियों का, उन भूमियों के सम्बन्धों में जो कि धारा 59 की उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों के लिये धारित हों, औसत वार्षिक भाटक मूल्य उस वर्ष से जिसमें कि भाटक मूल्य अवधारित किया जा रहा है, ठीक पूर्व के बीच पांच वर्षों की कालावधि के दौरान ऐसे खंड में पूर्वोक्त प्रयोजनों में से प्रत्येक प्रयोजन के लिये धारित की गई भूमि के सम्बन्ध में हुए विक्रयों तथा पट्टों के संव्यवहारों के आधार पर जहां तक कि ऐसे संव्यवहारों के विषय में जानकारी उपलब्ध हों, पृथकतः उस रीति में अवधारित किया जावेगा जो कि विहित की जाय:

परन्तु यदि वे संव्यवहार जो किसी खंड में पूर्वोक्त प्रयोजनों से किसी प्रयोजन के लिये धारित किसी भूमि के संबंध में हुए हों, पर्याप्त रूप से प्रतिनधिक न हों, तो पार्श्वस्थ खंड में उसी कालावधि के दौरान तत्समय प्रयोजन के लिये धारित भूमि के सम्बन्ध में हुएं संव्यवहार भाटक मूल्य अवधारित करते हुए आधार माने जा सकेंगे.

(3) धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) या (सी) में वर्णित प्रयोजनों के हेतु धारित भूमियों के लिए निर्धारण की मानक दर उपधारा (2) के अधीन ऐसी भूमि के संबंध में खण्ड के लिए अवधारित औसत वार्षिक भाटक मूल्य के एक तिहाई के बराबर होगी और धारा 59 की उपधारा (1) के खंड (डी) में वर्णित प्रयोजनों के हेतु धारित भूमियों के लिये निर्धारण की मानक दर ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खंड के लिये अवधारित औसत वार्षिक भाटक मूल्य का आधा होगी.

(4) कृषि प्रयोजनों के लिये धारित भूमियों के लिये मानक दरें, मिट्टी तथा भूमि की स्थिति एवं कृषि के लाभों का पट्टों, के लिये दिये गये प्रतिफल तथा ऐसी भूमियों की विक्रय कीमतों का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियत की जायेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

(16) **धारा 99. निर्धारण की दर के लिये अधिकतम तथा न्यूनतम सीमायें** — निर्धारण की दर के लिये अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा तत्समय प्रवृत्त प्रमाणिक दर की क्रमश: सवा गुनी तीन चौथाई होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

(17) **धारा 100. कलेक्टर भू-खंड पर निर्धारण विहित की गई दर से करेगा** — कलेक्टर भू-खंड पर निर्धारण ऐसे भू-खंड के उपयोग, उसकी स्थिति तथा उससे संलग्न अन्य लाभों या अलाभों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी दर से करेगा जो धारा 99 द्वारा विहित की गई सीमाओं के भीतर हो:

परन्तु यदि उन भूमियों की दशा में जिन पर कि निर्धारण किसी ऐसे प्रयोजन के लिये किया जा रहा है जिसके संबंध में उनका निर्धारण पुनरीक्षण के ठीक पूर्व किया जा चुका था, वह निर्धारण जो कि इस प्रकार संगणित किया गया हो, कृषि भूमि की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो डेढ़ गुने से अधिक होता हो तो अन्य भूमियों की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, छ: गुने से अधिक होता हो, तो निर्धारण कृषि भूमि की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के डेढ़ गुने के हिसाब से तथा अन्य भूमियों की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के छ: गुने के हिसाब से नियत किया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि जहां कृषि के प्रयोजन के लिये धारित किसी खाते में उसके धारक द्वारा उसके धारक के व्यय पर किसी भी समय कोई सुधार किया गया हो, वहां ऐसे खाते का निर्धारण इस प्रकार नियत किया जायगा मानों कि वह सुधार किया ही नहीं गया था.

* * * * * * * * * * * * * *

(18) **धारा 119. जानकारी देने में उपेक्षा करने के लिये शास्ति**—

(1) कोई भी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर धारा 109 द्वारा अपेक्षित की गई रिपोर्ट करने में या धारा 118 द्वारा अपेक्षित की गई जानकारी में या दस्तावेज पेश करने में उपेक्षा करेगा, वह तहसीलदार के विवेकाधिकार पर, पच्चीस रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा जो भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

(19) **धारा 128. सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने के लिये बाध्य करना** — (1) . . . .

(2) किसी भी वर्ष में 1 मार्च से पश्चात्, तहसीलदार या कोई ऐसा अन्य राजस्व अधिकारी, जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किन्हीं भी त्रुटिपूर्ण सीमा-चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों की उचित रूप से मरम्मत करवा सकेगा और ऐसी मरम्मत का खर्च ऐसे सीमा-चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी धारक या धारकों से, ऐसी शास्ति सहित वसूल कर सकेगा जो इस प्रकार मरम्मत किये गये प्रत्येक सीमा-चिन्ह के लिए एक रुपये तक की हो सकेगी. ऐसी खर्च तथा शास्ति भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

(20) **धारा 130.सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों को विनष्ट करने, क्षति पहुंचाने या हटाने के लिये शास्ति**—यदि कोई व्यक्ति, विधि-पूर्वक सन्निर्मित किये गये सीमा-चिन्ह या सर्वेक्षण-चिन्ह को जानबूझकर विनिष्ट करेगा या क्षति पहुंचायेगा या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटायेगा तो उसे तहसीलदार द्वारा या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जा सकेगा कि वह ऐसे प्रत्येक चिन्ह के लिये, जिसे इस प्रकार विनष्ट किया गया हो, क्षति पहुंचाई गई हो या हटाया गया हो, पचास रुपये से अनधिक ऐसे जुर्माने का भुगतान करे जो तहसीलदार या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी राजस्व की राय में, उसी सीमास-चिन्ह या सर्वेक्षण-चिन्ह को पुन: स्थापित करने के तथा इत्तिला देने वाले को यदि कोई हो, इनाम देने के व्यय को चुकाने के लिये आवश्यक हो.

* * * * * * * * * * * * * *

(21) **धारा 132.मार्ग आदि पर बाधा उपस्थित करने के लिये शास्ति**—कोई भी व्यक्ति, जो किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क तथा पथ जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो ग्राम के वाजिबउल अर्ज में अभिलिखत हैं, पर अथवा किसी सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण करेगा या उसके उपयोग में कोई बाधा पहुंचायेगा या जो धारा 131 के अधीन पारित किये गये तहसीलदार के विनिश्चय की अवज्ञा करेगा तहसीलदार के लिखित आदेश, जिसमें मामले के तथ्य तथा परिस्थितियां कथित की जायेंगी, के अधीन शास्ति का, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(22) **धारा 133.बाधा का हटाया जाना**—यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत हो कि कोई बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में अड़चन डालती है या किसी ऐसे सड़क या जल-सारणी या जल स्रोत में, जो धारा 131 के अधीन किसी विनिश्चय का विषय रहा हो, अड़चन पड़ती है, तो वह ऐसी बाधा के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को उसे हटाने के आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह उस बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाये जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(23) **धारा 143.भू-राजस्व के भुगतान में व्यतिक्रम पर शास्ति**—यदि भू-राजस्व की किस किश्त का या उसके किसी भाग का भुगतान विहित तारीख के पश्चात् एक मास के भीतर न किया जाय तो उपखंड अधिकारी, जानबूझकर व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के मामले में, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो उस रकम के, जिसका इस प्रकार भुगतान न किया गया हो, दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

* * * * * * * * * * * * * *

(24) **धारा 165.अंतरण के अधिकार**—(1) . . . .

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कोई भी भूमि—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करे जो ऐसे अंतरण के फलस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जावेगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित खेल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाए, अधिक हो जाये;

(एक) इस उपधारा में की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी :—

(क) (एक) किसी सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये स्थापित किसी संस्था के पक्ष में किये गये अंतरण या औद्योगिक प्रयोजन के लिये किये गये अंतरण या बन्धक के रूप में किये गये अंतरण की दशा में;

(दो) किसी सहकारी सोसायटी के पक्ष में औद्योगिक प्रयोजन के लिये किये गये अंतरण या बन्धक रूप में किये गये अंतरण की दशा में; तथापि इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कृषि प्रयोजनों के लिये कोई भी बन्धक, किसी अग्रिम की वसूली के लिये विक्रय की धारा 147 के खंड (ख) के उल्लंघन में प्राधिकृत नहीं करेगा;

(ख) कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित भूमि के अंतरण की दशा में:

परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (एक) के उपखंड (क) के अधीन औद्योगिक प्रयोजन के लिये भूमि या अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :—

(एक) यदि ऐसे भूमि किसी कृषि भिन्न प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित की जानी हो तो ऐसे व्यपवर्तन के लिये धारा 172 के अधीन उपखंड अधिकारी की अनुज्ञा ऐसे अंतरण के पूर्व प्राप्त कर ली गई है; और

(दो) धारा 172 के उपबंध ऐसे अंतरण को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि उसकी उपधारा (1) के परन्तुक में वर्णित तीन मास तथा नब्बे दिन की कालावधि, ऐसे व्यपवर्तन हेतु आवेदन के प्रयोजनों के लिये क्रमश: पैंतालीस दिन और नब्बे दिन होगी.

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, किसी व्यक्ति के कुटुम्ब में वह व्यक्ति स्वयं, उसकी अवयस्क संतान तथा ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसका पति जो उनके साथ संयुक्त रूप से रहता हो, और यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो तो उसके साथ संयुक्त रूप से रहने वाले उनके माता-पिता सम्मिलित होंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

(25) **धारा 172. भूमि का व्यपवर्तन** (Diversion of Land)—(1) यदि.

(एक) नगरीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से पांच मील की त्रिज्या के भीतर; या

(दो) किसी ऐसे ग्राम में, जिसकी जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार दो हजार या उससे अधिक हो; या

(तीन) ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

किसी प्रयोजन के लिये धारित भूमि का भूमिस्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है तो वह इस बाबत अनुज्ञा दी जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जो इस धारा के तथा इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा या अनुज्ञा ऐसी शर्तों पर दे सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे:

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास तक; उसके संबंध में अनुज्ञा या इंकारी का आदेश करने तथा उसे आवेदक को परिदत्त करने में उपेक्षा या चूक करता है, और आवेदक ने उस चूक या उपेक्षा की ओर सक्षम प्राधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकृष्ट कर दिया हो तथा ऐसी चूक या उपेक्षा छह मास की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायेगा कि सक्षम प्राधिकारी ने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी है :

परन्तु यह और कि नगरीय क्षेत्र में स्थित किसी ऐसी भूमि का, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये आरक्षित की गई है, किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिये किया जाता है, भूमिस्वामी, अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है, जिसके लिये वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा, जो उसे इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, अनुज्ञा देगा, यदि सक्षम प्राधिकारी इस परन्तुक के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् दो मास तक उसके संबंध में अनुज्ञा का आदेश करने तथा उसे आवेदक को परिदत्त करने में उपेक्षा या चूक करता है और आवेदक ने ऐसी चूक या उपेक्षा की ओर सक्षम प्राधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकृष्ट कर दिया है और ऐसी चूक या उपेक्षा एक मास

की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायेगा कि सक्षम प्राधिकारी ने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी है.

"(6-क) यदि कोई भूमि धारा 165 की उपधारा (6ङ ङ) के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है, तो उपखंड अधिकारी उपधारा (5) तथा (6) में अधिकथित कार्रवाई करने के अतिरिक्त ऐसे उल्लंघन के लिये ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी, तथा ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे; एक सौ रुपये से अधिक की नहीं होगी, अधिरोपित करेगा."

* * * * * * * * * * * * * *

(26) **धारा 200.रसीद न देने या अधिक वसूली के लिये शास्ति**—यदि कोई भूमि स्वामी धारा 190 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रसीद नहीं देगा या लगान के रूप में कोई ऐसी रकम प्राप्त करेगा जो इस संहिता के अधीन देय लगान से अधिक हो, तो वह मौरूसी कृषक के आवेदन पर, तहसीलदार के आदेश से इस बात के दायित्वाधीन होगा कि वह वसूल की गई अतिरिक्त रकम वापस करे तथा शास्ति के रूप में दो सौ रुपये से अनधिक राशि या यदि वसूल किये गये कुल लगान की दुगुनी रकम दो सौ रुपये अधिक हो, तो ऐसी रकम के दुगुने के अनधिक राशि का भुगतान करे और तहसीलदार यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी संपूर्ण राशि या उसका भाग मौरूसी कृषक द्वारा देय प्रतिकर की रकम के प्रति समायोजित किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(27) **धारा 227.पटेलों को दण्ड**—कोई पटेल, जो धारा 224 या 225 के अधीन उसे सौंपे गये किसी कर्तव्य का पालन करने में उपेक्षा करता हुआ पाया जायेगा वह तहसीलदार के अधीन, जुर्माने से, जो बीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(28) **धारा 234.निस्तार-पत्रक का तैयार किया जाना**—उपखण्ड अधिकारी इस संहिता तथा इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से संगति रखते हुए एक निस्तार-पत्रक तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त दखल-रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे आनुषांगिक समस्त विषय और विशिष्टत: धारा 235 में विनिर्दिष्ट विषय में सन्निविष्ट होंगे.

(2) निस्तार-पत्रक का प्रारूप ग्राम में प्रकाशित किया जायेगा और ग्राम के निवासियों की इच्छाओं को विहित रीति से अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसे उपखंड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा.

(3) उपखण्ड अधिकारी ग्राम सभा द्वारा प्रार्थना की जाने पर, या जहां कोई ग्राम सभा न हो, वहां किसी ग्राम के कम से कम एक-चौथाई वयस्क निवासियों के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से निस्तार पत्रक में की किसी प्रविष्टि को, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो कि वह उचित समझे, किसी भी समय उपान्तरित कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

(29) **धारा 257.**इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे मामले पर, जिसे कि अवधारित करने, विनिश्चित करने या निपटाने के लिये राज्य सरकार मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी इस संहिता द्वारा सशक्त हो, कोई विनिश्चय या आदेश अभिप्राप्त करने के लिये संस्थित किये गये किसी वाद या किये गये किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा; और विशिष्टतया तथा इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई सिविल न्यायालय निम्नलिखित किन्हीं भी विषयों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा :—

(क) जिस प्रयोजन के लिये भूमि धारा 59 के अधीन विनियोजित की गई है उस प्रयोजन बाबत कोई विनिश्चय;

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.